प्रेस नोट-
थाना सीपरी बाजार, झांसी

दिनांक- 05.02.2026

- **झाँसी पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही प्रभावी कार्यवाही,**
- **थाना सीपरी बाजार पुलिस द्वारा संगठित रूप से अवैध शराब की तस्करी कर धनार्जन करने के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोग में संलिप्त अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया,**
- **गिरफ्तार अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।**

कृपया अवगत कराना है कि श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह व श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक, झाँसी परिक्षेत्र, झाँसी श्री आकाश कुलहरि के मार्गदर्शन व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झाँसी श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के कुशल निर्देशन में जनपद झाँसी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध झाँसी पुलिस द्वारा की जा रही प्रभावी कार्यवाही के क्रम में आज दिनाँक 05.02.2026 को थाना सीपरी बाजार पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 36/2026 धारा 60/63/72 आबकारी अधिनियम व धारा 318(4) BNS में संलिप्त अभियुक्त 1. सतीश माली पुत्र मुन्नालाल निवासी असालतपुर जारेई थाना बनियाखेड़ा जिला सम्भल उम्र करीब 47 वर्ष की गिरफ्तारी करते हुये उक्त अभियोग में धारा 111/338/336(3)/340(2) BNS की बढ़ोत्तरी की गई। गिरफ्तार अभियुक्त सतीश माली उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 31.01.2026 की रात्रि में थाना सीपरी बाजार पुलिस व आबकारी टीम की संयुक्त चेकिंग में शिवानी तिराहा चौकी क्षेत्र ग्वालियर रोड थाना सीपरी बाजार झांसी पर एक ट्रक को रोका गया जिसकी चैकिंग के दौरान ट्रक के अन्दर बने कंटेनर बाक्स में शराब की पेटियां रखी हुई है जिसे संदेह के आधार पर राज्य कर ऑफिस रक्सा लाया गया, उक्त संदिग्ध वाहन के बारे में थाना सीपरी बाजार जनपद झाँसी को भी सूचना दी गयी। इस सूचना पर आब0नि0 मय हमराह प्रवर्तन फोर्स के राज्य कर सचल दल कार्यालय रक्सा पहुँचे जहाँ थाना सीपरी बाजार व सहायक आयुक्त यूनिट-4 झाँसी व उनकी टीम द्वारा संदिग्ध ट्रक से इम्पीरियल ब्लू की कुल 503 पेटी बरामद हुई। परिवहन किये जा रहे वाहन टाटा ट्रक नं0 UP 13 BT 9800 को उ0नि0 दिलीप कुमार पाण्डेय द्वारा ई-चालान ऐप पर डाल कर जानकारी की गयी तो वाहन स्वामी का नाम सतीश पुत्र मुन्नालाल निवासी मुरारीनगर खुर्जा बुलन्दशहर उ0प्र0 ज्ञात हुआ। बरामदगी व अवैध रूप से परिवहन किये जाने के सम्बन्ध में ट्रक मालिक सतीश उपरोक्त व चालक अज्ञात के विरुद्ध मु0अ0सं0 36/2026 धारा 60/63/72 आबकारी अधिनियम व 318(4) BNS में अभियोग पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 श्री चन्दन सरोज द्वारा ग्रहण कर सम्पादित की जा रही है। अभियोग से सम्बन्धित अभियुक्त को बुलन्दशहर से दिनांक 04.02.2026 को समय 14.00 बजे गिरफ्तार किया गया, जिसके द्वारा 08 माह पूर्व ट्रक नं0 UP 13 BT 9800 को हकीमउल्लाह से क्रय किया गया तथा वाहन

स्थानान्तरित करते समय रजिस्ट्रेशन में गलत पता मुरारीनगर खुर्जा, जिला बुलन्दशहर तथा मोबाइल नम्बर शिवम अग्रवाल पुत्र पुरूषोत्तम अग्रवाल निवासी ततारपुर नयागांव, जिला बुलन्दशहर का नाम अंकित किया गया । मोबाइल धारक शिवम अग्रवाल से पूछताछ किये जाने पर बताया गया कि मैं अपने दोस्त ट्विंकल अरोड़ा के साइबर कैफे में काम करता था जिनके द्वारा मेरे नाम से सिम लेकर उसे इस्तेमाल कर रहे थे। इस सम्बन्ध में प्रियांक अरोड़ा उर्फ ट्विंकल पुत्र बलदेव राज निवासी निकट शास्त्री पार्क देवीपुरा थाना बुलन्दशहर कोतवाली जनपद बुलन्दशहर से जानकारी की गयी तो बताया गया कि मैं कैफे चलाता हूँ और आरटीओ का काम करा देता हूँ। मेरे आधार कार्ड में कुछ गड़बड़ी थी जिस कारण सिम नहीं निकल रहा था तो मैंने अपने दोस्त शिवम के नाम से एक सिम 8445428697 लिया था और प्रयोग कर रहा था। मेरे द्वारा जून 2025 में वाहन संख्या UP 13 BT 9800 टाटा हैवी व्हीकल्स को सतीश पुत्र मुन्नालाल निवासी मुरारी नगर खुर्जा बुलन्दशहर के नाम से कागज पर ट्रान्सफर कराया था। ट्रान्सफर के दौरान वाहन स्वामी सतीश के मोबाइल में ओटीपी नहीं आ रही थी तो मैंने 8445428697 नम्बर डाल दिया था और ओटीपी आने के बाद मैंने कागज ट्रान्सफर करा दिया था। फिर कहा था कि उक्त नम्बर चेंज करा लेना। किन्तु वाहन स्वामी द्वारा नम्बर चेंज नहीं कराया गया। तत्पश्चात अभियुक्त सतीश माली उपरोक्त द्वारा दिनांक 19.01.2026 को वाहन चालक रोहताश के साथ साठगांठ कर अवैध धनोपार्जन के उद्देश्य से एक नोटरी की गयी जिसमें प्रथम पक्ष में अभियुक्त द्वारा अपने भतीजे निमित पुत्र अनिल कुमार निवासी ग्राम असालतपुर जारई चन्दौसी, जिला सम्भल के हस्ताक्षर बनवाये गया तथा द्वितीय पक्ष में रोहताश पुत्र देवीलाल निवासी गली नं0 10 विकास नगर लाइन पार बहादुरगढ़, जिला झझर हरियाणा व सत्यवीर पुत्र दयाराम निवासी पावर हाउस चन्दौसी जिला सम्भल के हस्ताक्षर बनाये गये। इस प्रकार अभियुक्त द्वारा अपने सहअभियुक्तों के साथ मिलकर संगठित रूप से धोखाधड़ी कर अवैध धनार्जन करने के उद्देश्य से अपराध कारित किये जाने के साक्ष्य पाये गये। जिसके परिणामस्वरूप थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 36/2026 धारा 60/63/72 आबकारी अधिनियम व धारा 318(4) BNS में धारा 111/338/336(3)/340(2) BNS की बढ़ोत्तरी कर अभियुक्त सतीश माली उपरोक्त को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण</u> –

1. सतीश माली पुत्र मुन्नालाल निवासी असालतपुर जारेई थाना बनियाखेड़ा जिला सम्भल उम्र करीब 47 वर्ष

<u>गिरफ्तार करने वाली टीम -</u>

1. प्र0नि0 श्री जय प्रकाश चौबे थाना सीपरी बाजार
2. उ0नि0 श्री चन्दन सरोज, चौकी प्रभारी लहरगिर्द, थाना सीपरी बाजार झाँसी।
3. हे0का0 349 नितिन कुमार, थाना सीपरी बाजार झांसी।
4. का0 1891 गोविन्द लवानिया, थाना सीपरी बाजार झाँसी।